

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.2(1)नविवि / II / 2009

जयपुर, दिनांक: ११ JUL 2014

आज्ञा

राजस्थान नगर नियोजन सेवा के अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजकों की दिनांक 01.04.2014 की रिथति में अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची एतदद्वारा निम्नानुसार प्रसारित की जाती है –

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष
1	श्री प्रवीण जैन	2013–2014
2.	श्री जयबीर जाखड़	2013–2014


जिन अधिकारियों को इस सूची में नियत किये गये स्थान से असंतोष/आपत्ति होतो वे अपना लिखित अभ्यावेदन मय प्रमाणित दस्तावेजों के अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची जारी किये जाने की तिथि से 15 दिवस में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई आपत्ति विभाग में प्राप्त नहीं होती है तो उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची माना जावेगा। यह नगरीय विकास विभाग की Website : www.udh.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,


(राजिम शम्मी)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजी सचिव, मुख्य मंत्री (प्रभारी मंत्री, नगरीय विकास विभाग)।
- निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त वरिष्ठता सूची नगर नियोजन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध करावें।
- वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसे नगरीय विकास विभाग की Website पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
- राक्षित पत्रावली।


(सम्पत मल लोढ़ा)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.2(14)नविवि / II / 2007

जयपुर, दिनांक: 11 JUL 2014

आज्ञा

राजस्थान नगर नियोजन सेवा के उप नगर नियोजकों की दिनांक 01.04.2014 की स्थिति में अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची द्वारा निम्नानुसार प्रसारित की जाती है—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1.	श्री अनिल माथुर	2001–2002	आवश्यक / अस्थाई वरिष्ठ नगर नियोजक
2.	श्री मुकेश कुमार मित्तल	2002–2003	आवश्यक / अस्थाई वरिष्ठ नगर नियोजक
3.	श्री राजेश कुमार तुलारा	2002–2003	आवश्यक / अस्थाई वरिष्ठ नगर नियोजक
4.	श्री सुभाष चन्द शर्मा	2002–2003	आवश्यक / अस्थाई वरिष्ठ नगर नियोजक
5.	श्री सुग्रीव सिंह, उ.न.नि. (पीआर)	2002–2003	आवश्यक / अस्थाई वरिष्ठ नगर नियोजक
6.	श्री पूरण राम बेनीवाल	2007–08	
7.	श्री मृणाल जोशी	2010–11	
8.	श्रीमती प्रीति गुप्ता	2010–11	
9.	श्री राजेश वर्मा	2010–11	
10.	श्री रवि राय वर्मा (अजा)	2010–11	
11.	श्रीमती रिकू बंसल	2010–11	
12.	श्री शशीकान्त (अजजा)	2010–11	

जिन अधिकारियों को इस सूची में नियत किये गये स्थान से असंतोष/आपत्ति हो तो वे अपना लिखित अभ्यावेदन मय प्रमाणित दस्तावेजों के अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची जारी किये जाने की तिथि से 15 दिवस में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई आपत्ति विभाग में प्राप्त नहीं होती है तो उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची माना जावेगा। यह नगरीय विकास विभाग की Website : www.udh.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।


आज्ञा से,


(राश्मि शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्य मंत्री (प्रभारी मंत्री, नगरीय विकास विभाग)।
2. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त वरिष्ठता सूची नगर नियोजन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध करायें।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसे नगरीय विकास विभाग की Website पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।


(सम्पत्त मल लोढा)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.2(24)नविवि / II / 02

जयपुर, दिनांक: 11 JUL 2014

आज्ञा

नगर नियोजन सेवा के वरिष्ठ नगर नियोजकों की दिनांक 01.04.2014 की स्थिति में अरथाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची एतद्वारा निम्नानुसार प्रसारित की जाती है :—

क्र.सं.	नाम अधिकारी	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1.	श्रीमती इन्दिरा	2009—2010	
2.	श्री अरुण चतुर्वेदी	2009—2010	
3.	श्री बंशीधर जाट	2009—2010	
4.	श्री चन्द्र शेखर पाराशर	2009—2010	
5.	श्री दिलीप सिंह बारेठ	2010—2011	सेवानिवृत्ति तिथि 31.12.2014
6.	श्री सतीश कुमार शर्मा	2010—2011	
7.	श्री प्रदीप कपूर	2011—2012	
8.	श्री अनिल कुमार पथरिया	2011—2012	
9.	श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय	2011—2012	
10.	श्री शंकर लाल सेठी	2012—2013	
11.	श्री विनय कुमार दलेला	2013—2014	
12.	श्री ओम प्रकाश पारीक	2013—2014	
13.	श्री सतीश कुमार श्रीमाली	2013—2014	
14.	श्री संदीप दण्डवते	2013—2014	

जिन अधिकारियों को इस सूची में नियत किये गये स्थान से असंतोष/आपत्ति हो तो वे अपना लिखित अभ्यावेदन मय प्रमाणित दस्तावेजों के अरथाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची जारी किये जाने की तिथि से 15 दिवस में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई आपत्ति विभाग में प्राप्त नहीं होती है तो उक्त अरथाई वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची माना जावेगा। यह नगरीय विकास विभाग की Website : www.udh.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,

(रस्मी शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- निजी सचिव, मुख्य मंत्री (प्रभारी मंत्री, नगरीय विकास विभाग)।
- निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त वरिष्ठता सूची नगर नियोजन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध करावें।
- वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसे नगरीय विकास विभाग की Website पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
- रक्षित पत्रावली।

(सम्पत् मल लोढ़ा) ॥२॥
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.2(8)नविवि / II / 2009

जयपुर, दिनांक: 11 JUL 2014


आज्ञा

राजस्थान नगर नियोजन सेवा के सहायक नगर नियोजकों की दिनांक 01.04.2014 की स्थिति में अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची एतद्वारा निम्नानुसार प्रसारित की जाती है—

क्र.स.	नाम अधिकारी	चयन वर्ष एवं माध्यम		विशेष विवरण
		डीपीसी	आरपीएससी	
1.	श्री महेन्द्र	—	2004–05	निलम्बित
2.	श्री विष्णु कुमार गुप्ता	2012–13	—	
3.	श्रीमती मेघना टी. सूले	2012–13	—	
4.	श्री मेवा सिंह	2012–13	—	
5.	श्री गजेन्द्र कुमार (अजा)	2013–14	—	सेवानिवृत्ति तिथि 31.03.2015


जिन अधिकारियों को इस सूची में नियत किये गये रखान से असंतोष/आपत्ति हो तो वे अपना लिखित अभ्यावेदन मय प्रमाणित दस्तावेजों के अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची जारी किये जाने की तिथि से 15 दिवस में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई आपत्ति विभाग में प्राप्त नहीं होती है तो उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची माना जावेगा। यह नगरीय विकास विभाग की Website : www.udh.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,


(रिशभ शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्य मंत्री (प्रभारी मंत्री, नगरीय विकास विभाग)।
2. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त वरिष्ठता सूची नगर नियोजन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध करावें।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसे नगरीय विकास विभाग की Website पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।


(सम्पत मल लोढा) १०८
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.2(21)नविवि / II / 2000

जयपुर, दिनांक: 11 JUL 2014


आज्ञा

राजस्थान नगर नियोजन सेवा के सहायक अभियन्ता पद की दिनांक 01.04.2014 की स्थिति में अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची एतदद्वारा निम्नानुसार प्रसारित की जाती है—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष
1.	श्री चैतन्य कुमार गौतम	2007-08
2.	श्री गुरुदत्त शर्मा	2008-09
3.	श्री अशोक कुमार मित्तल	2009-10
4.	श्री फूला राम	2010-11
5.	श्री रमेश नारायण माथुर	2010-11
6.	श्री रणवीर सिंह	2010-11
7.	श्री तरसेम कुमार	2010-11
8.	श्री दिलीप कुमार पूनिया	2010-11
9.	श्री महेन्द्र प्रताप सुथार	2010-11
10.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	2010-11
11.	श्री टीला राम (अ.जा.)	2010-11
12.	श्री सीताराम गुप्ता	2010-11


जिन अधिकारियों को इस सूची में नियत किये गये स्थान से असंतोष/आपत्ति हो तो वे अपना लिखित अभ्यावेदन मय प्रमाणित दस्तावेजों के अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची जारी किये जाने की तिथि से 15 दिवस में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई आपत्ति विभाग में प्राप्त नहीं होती है तो उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची को ही अन्तिम वरिष्ठता सूची माना जावेगा। यह नगरीय विकास विभाग की Website : www.udh.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,


(रश्मि शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजी सचिव, मुख्य मंत्री (प्रभारी मंत्री, नगरीय विकास विभाग)।
- निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त वरिष्ठता सूची नगर नियोजन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध करावें।
- वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसे नगरीय विकास विभाग की Website पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
रक्षित पत्रावली।


(सम्पत्त मल लोढ़ा) ॥१॥
शासन सहायक सचिव